न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी - श्री दीपक मित्तल (R.A.S.)

मु०नं० 03/2021

विजय सिंह आयु 49 वर्ष पुत्र गोविन्द सिंह उर्फ गोविन्दा उर्फ गोविन्दराम जाति मीना निवासी बिरहटा, तहसील बयाना जिला भरतपुर राज०

— अपीलार्थी

बनाम

सरपंच ग्राम पंचायत मिलकपुर, तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान

— रेस्पोन्डेन्ट

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 178 निर्णय दिनांक 01-11-1977 ग्राम पंचायत मिलकपुर तहसील बयाना

निर्णय

दिनांक 27/11/24

उपस्थिति :-

श्री अजीत सिंह गुर्जर एड० अपीलार्थी

अपीलार्थी द्वारा यह अपील नामान्तकरण संख्या 178 निर्णय दिनांक 01-11-1977 ग्राम पंचायत मिलकपुर के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के बाद विरासत का दाखिल खारिज सं. 178 पटवारी हल्का मिलकपुर द्वारा दिनांक 19-09-1977 को दर्ज कर खाता नम्बर 11 में नारायण सिंह, मोहन सिंह, लीला सिंह, जीवन सिंह, विजेन्द्र सिंह पिसरान गोविन्दा कौम मीना सा० देह व. हिस्सा बराबर दर्ज कर दिया तथा उक्त नामान्तकरण को तस्दीक हेतु ग्राम पंचायत मिलकपुर पेश किया जिसे ग्राम पंचायत मिलकपुर ने दिनांक 01-11-1977

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

को योग्य अनावश्यक ग्राम पंचायत मिलकपुर ने कोई नोटिस अपीलार्थी को नहीं दिया और उसे बिना किसी सुने, अपीलार्थी की बैंक पर विजय सिंह के स्थान पर विजेन्द्र सिंह के अनुसार भी अंकित किया। उक्त निर्णय विरुद्ध यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

यह कि जेर अपील में अपीलार्थी के नाम विजय सिंह के स्थान पर विजेन्द्र सिंह गलत अंकित कर दिया है जो इस हद तक सरासर व गैरकानूनी है जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत मिलकपुर ने अपीलाधीन नामा० के खाता संख्या 11 में अपीलार्थी विजय सिंह के स्थान पर विजेन्द्र गलत अंकित किया है जो अपास्त योग्य है। उक्त नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व ग्राम पंचायत मिलकपुर ने अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया। ग्राम पंचायत ने स्वयं विवेक का सही उपयोग नहीं करके से कानूनी भूल की है उक्त गलत इन्द्राज से अपीलार्थी के हितों पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी अपीलार्थी को अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का मिलकपुर को दिनांक 24/02/2021 को निवेदन करने पर, पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई। अतः योग्य जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से पेश किया जा रहा है।

अन्त में अपील अपीलार्थी स्वीकार कर जेर अपील में दर्ज गलत नाम को विजेन्द्र सिंह की हद तक स्वीकार कर उसके स्थान पर विजय सिंह किए जाने का निवेदन किया।

न्यायालय ... जिला कलक्टर ... बयाना

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

अपील प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया। रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 25/1/22 को अपील प्रार्थना पत्र यदि स्वीकार की जाती है तो ग्राम - पंचायत को कोई आपत्ती नहीं है बाबत अपनी सहमती दी है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट को एक पक्षीय सुना। विद्वान अपीलान्ट ने अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट को सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड नकल नामान्तकरण संख्या 178 निर्णय दिनांक 01-11-1977 जमाबन्दी 2073-76 (खाता 3) नकल आधार कार्ड की छाया प्रति 2234 9549 4367, नकल प्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र RJ/10/074/459217 ~~राशन~~ कार्ड की छाया प्रति (018286) का गहनता से अवलोकन किया। अपीलान्ट ने ~~अपने~~ अपील प्रार्थना पत्र के साथ आर 5 स्टाम्प अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया। आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग से जारी फोटो पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस में अपीलान्ट का नाम विजयसिंह पुत्र गोविन्द सिंह एवं निर्वाचन आयोग में पिता का नाम गोविन्दा अंकित है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी मुकाम 78 ग्राम बिरहठा के जमाब० 2073-76, के नवीन खाता सं 114 में विजयसिंह पुत्र गोविन्दाराम, नवीन खाता संख्या 122 पुराना 115 में विजेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्दाराम, नवीन खाता संख्या 65 पुराना 54 में अंकित खसरा नम्बरान के विजेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्दा नामान्तकरण सं 178 निर्णय दिनांक 01/11/1977 के कालम संख्या 11 में विजेन्द्र सिंह पि० गोविन्दा दर्ज रिकार्ड है। बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट, एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

न्यायालय उप जिला ...

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

ग्राम पंचायत मिलकपुर ने कोई ... 1977 का योग्य ...

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 178 दिनांक 01/11/1977 वाके ग्राम बिरहटा, ग्राम पंचायत खिरखुर अपीलान्ट (विजेन्द्र सिंह) की हद तक अपास्त किया जाता है, प्रकरण तहसीलदार बयाना को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह अपीलान्ट के सही नाम की जानकारी कर गुणावगुण के आधार पर तार्किक निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27/11/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)